राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 4(5)ग्रावि / नरेगा / 09–10 जयपुर, दिनांक

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर
समस्त राजस्थान। - 7 AUG 2009

विषयः **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्र के 250–499 तक आबादी वाले गांवों तथा जनजाति एवं मरूस्थलीय क्षेत्र के 250 से कम आबादी वाले गावों को ग्रेवल सडक से जोडने बाबत।**

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के परिवर्तित बजट 2009–10 के भाषण के पैरा 13 में घोषणा की है कि "जनजातिय एवं मयरस्थलीय क्षेत्रों में 250 एवं अन्य क्षेत्रों में 500 व इससे अधिक आबादी वाले लगभग सभी गॉवों को सडकों से जोडा जा चुका है। हमारी योजना है कि गैर–जनजाति एवं गैर–मरूस्थलीय क्षेत्रों में भी 250 से 500 तक आबादी वाले 2 हजार 776 गॉवों को भी आगामी तीन वर्षो में नरेगा के अन्तर्गत ग्रेवल सडकों से जोडा जावें"।

प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि इन कार्यो के प्रस्ताव विभाग द्वारा आपकों प्रस्तुत किये जा चुके है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रस्तावों को नरेगा के अन्तर्गत ग्रेवल स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति में जारी कर श्रमिक तथा राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। यदि उक्त कार्य जिले की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है, तो उन्हें वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर अनुमोदित भी कराना सुनिश्चित करे। ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणानुसार कार्यवाही कियान्वित की जा सके।

भवदीय,
7/8/09

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस